न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

सूरजमल बनाम शंकरलाल वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या........ 30 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
10.07.2019	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के वर्तमान कब्जे सहित उपयोग उपभोग में बाधा दखल करते हुए अप्रार्थीगण विवादित भूमि में वर्तमान कब्जे, मौके एवं बय, हस्तांतरण सहित राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने तथा मौके पर पेडों की कटाई/छंगाई सहित अकृषि प्रयोजनार्थ निर्माण करने पर आमदा होकर प्रार्थीगण को मौके के कब्जे से वंचित कर बेदखल करना चाहते हैं तथा मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ दखल करना चाहते है। प्रार्थीगण के विवादित भूमि अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नयावास मे कृषि भूमि खसरा नं0 219 रकबा 2.78 हैक्टेयर अनुसार वादग्रस्त आराजियात में के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकार्ड, अंतरण की यथास्थिति रखे तथा एक दूसरे के कब्जे काश्त में बाधा न पहुंचाये व पूर्वानुसार कृषि में दखल न करे। उक्त कार्य अन्य से भी ना करावे यदि उक्त आदेश से किसी को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करे। प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर हो, स्टे आदेश की प्रति तहसीलदार व संबधित थानाधिकारी को पालनार्थ भेजा जावे एवं तलबी अप्रार्थीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.09.2019 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
29/8/19	मुलतवी सं० 135/2019 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी स्वयं उपस्थित जिसकी दरख्वास्त एड० श्री महेश शर्मा के की मुलतवी को फिर कर खारिज किया गया है अब इस प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं है इसलिये खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो [signature] (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.27 13:36:27 IST
Reason: SelfAttested